श्रव्य-दृश्य
सह-निर्माण पर

भारत गणराज्य की सरकार

और

ब्राजील संघ गणराज्य की सरकार

के बीच

करार ।

भारत गणराज्य की सरकार और ब्राजील संघ गणराज्य की सरकार ("संविदाकारी पक्षकार")

श्रव्य-दृश्य क्षेत्र में अपने दो देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए ;

श्रव्य-दृश्य कार्यों के सह-निर्माण का विस्तार करने और इसे सुविधाजनक बनाने, जो कि दोनों देशों की फिल्मों और श्रव्य-दृश्य उद्योगों के विकास में सहायक होगा तथा दोनों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक आदान-प्रदान के इच्छुक;

इस बात को लेकर आश्वस्त हुए कि ये आदान-प्रदान दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में मदद देंगे;

निम्नानुसार सहमत हुए हैं :

अनुच्छेद - 1

परिभाषाएं

इस करार के प्रयोजनार्थ

1. "श्रव्य-दृश्य सह-निर्माण" का अर्थ है दोनों सक्षम प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित एक परियोजना के तहत एक या एक से अधिक ब्राजील के सह-निर्माताओं और एक या एक से अधिक भारतीय सह-निर्माताओं द्वारा संयुक्त रूप से निवेशित और निर्मित एक श्रव्य-दृश्य कार्य ।

2. "श्रव्य-दृश्य कार्य" का अर्थ है लंबाई के निरपेक्ष संबंधित छायाचित्रों के क्रम का रिकॉर्ड जिसे प्रारंभिक या तदनंतर स्थायीकरण के माध्यम के अनपेक्ष यन्त्रों की सहायता से एक चल छायाचित्र के रूप में दृष्टिगोचर बनाने के लिए लक्षित है और जिसके सार्वजनिक प्रदर्शन की संभावना है । इसमें थियेटरों, टेलीविजन पर, डी वी डी या वितरण के किसी अन्य प्ररूप द्वारा दिखाए जाने के लिए फिल्में और वीडियो रिकॉर्डिंग, एनीमेशन तथा वृतचित्र निर्माण शामिल हैं । संविदाकारी पक्षकारों के बीच टिप्पणियों के आदान-प्रदान के जरिए इस करार में श्रव्य-दृश्य निर्माण के नए प्ररूप शामिल किए जाएंगे ।

3. "सह-निर्माता":

(क) जहां तक भारत गणराज्य का संबंध है :

(i) भारत गणराज्य के राष्ट्रिक/नागरिक ;
(ii) भारत के स्थायी निवासी ;
(iii) भारत में स्थापित और/या विनिगमित कंपनियां ।

(ख) जहां तक ब्राजील संघ गणराज्य का संबंध है :

(i) ब्राजील संघ गणराज्य के राष्ट्रिक/नागरिक;

(ii) ब्राजील के स्थायी निवासी ;

(iii) ब्राजील में स्थापित और/या विनिगमित कंपनियां ।

4. "सक्षम प्राधिकरण" का अर्थ है :

(क) ब्राजील संघ गणराज्य की ओर से संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एजेंसियां नेसियोनल डो सिनेमा-एनसिने (राष्ट्रीय फिल्म एजेंसी) ;

(ख) भारत गणराज्य की ओर से सूचना और प्रसारण मंत्रालय ।

अनुच्छेद - 2

लाभ

1. एक श्रव्य-दृश्य सह-निर्माण को दोनों पक्षकारों द्वारा एक राष्ट्रीय श्रव्य-दृश्य कार्य के रूप में माना जाएगा और इसलिए इसे उन सभी लाभों का पूर्णाधिकार प्राप्त होगा जो कि प्रत्येक पक्षकार द्वारा उनके संबंधित राष्ट्रीय कानूनों के तहत राष्ट्रीय श्रव्य-दृश्य कार्यों को प्रदान किए जाते हैं या किए जा सकते हैं ।

2. ब्राजील में उपलब्ध लाभ केवल ब्राजील के सह-निर्माता को ही प्रदान किए जा सकते हैं ।

3. भारत में उपलब्ध लाभ केवल भारतीय सह-निर्माता को ही प्रदान किए जा सकते हैं ।

4. व्यय और राजस्व की हिस्सेदारी पर सह-निर्माताओं द्वारा पारस्परिक रूप से निर्णय लिया जाएगा ।

अनुच्छेद - 3

परियोजनाओं का अनुमोदन

1. श्रव्य-दृश्य सह-निर्माणों के लिए शूटिंग शुरू होने से पूर्व दोनों सक्षम प्राधिकरणों का अनुमोदन लेना अपेक्षित होगा ।

2. उनके संबंधित राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान किया जाता है, यह अनुमोदन लिखित में होंगे और उन शर्तों का विशेष रूप से उल्लेख करना होगा जिसके आधार पर अनुमोदन दिया जाता है । किसी भी सह-निर्माता को सामान्य प्रबंधन, स्वामित्व या नियंत्रण द्वारा संबद्ध नहीं किया जाएगा बशर्ते कि ऐसे संयोजन स्वयं श्रव्य-दृश्य सह-निर्माण के बनाने में अंतर्निहित न होते हों ।

3. एक श्रव्य-दृश्य सह-निर्माण करने के लिए प्रस्तावों पर विचार करते समय दोनों सक्षम प्राधिकरण अपनी संबंधित नीतियों और दिशा-निर्देशों का सम्यक ध्यान रखते हुए इस करार के साथ-साथ इसके अनुलग्नक में निर्दिष्ट नियमों और सिद्धांतों को लागू करेंगे ।

अनुच्छेद - 4

योगदान

1. प्रत्येक श्रव्य-दृश्य सह-निर्माण हेतु :

(क) सह-निर्माताओं की कार्यकरण निष्पादन तकनीकी, शिल्प और रचनात्मक सहभागिता; और

(ख) भारत गणराज्य या ब्राजील संघ गणराज्य में सह-निर्माता का निर्माण व्यय

उनके संबंधित वित्तीय अंशदानों और जैसाकि दोनों सह-निर्माताओं द्वारा पारस्परिक रूप से सहमति हुई हो, के उचित समानुपात में होगा ।

2. प्रत्येक सह-निर्माता का वित्तीय अंशदान और प्रबंधकीय, निष्पादन तकनीकी, शिल्प एवं रचनात्मक सहभागिता, दोनों श्रव्य-दृश्य सह-निर्माण के कुल बजट का कम से कम 20 % (बीस प्रतिशत) होंगे ।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 2 में विनिर्दिष्ट योगदान और सहभागिता के बावजूद भी आपवादिक मामलों में दोनों सक्षम प्राधिकरण निम्नलिखित स्थिति में श्रव्य-दृश्य सह-निर्माण को अनुमोदित कर सकते हैं :-

(क) एक सह-निर्माता द्वारा अंशदान केवल वित्त पोषण के प्रावधान तक ही सीमित है उस स्थिति में प्रस्तावित केवल वित्तपोषण का अंशदान श्रव्य-दृश्य सह-निर्माण के कुल बजट का 20 % (बीस प्रतिशत) या अधिक होगा; अथवा

(ख) अंशदान नियमों से भिन्न होने के बावजूद भी सक्षम प्राधिकरणों का विचार है कि यह परियोजना इस करार के उद्देश्यों को पूरा करेगी और तदनुसार अनुमोदित की जानी चाहिए ।

4. संविदाकारी पक्षकारों में मान्य कानून और विनियमों में निर्धारित विशिष्ट शर्तों और सीमाओं के अध्यधीन बहुपक्षीय सह-निर्माणों के मामले में अल्प अंशदान श्रव्य-दृश्य कार्य की कुल लागत के 10 % (दस प्रतिशत) से कम नहीं होना चाहिए और अधिकांश अशंदान 70 % (सत्तर प्रतिशत) से अधिक नहीं होना चाहिए ।

अनुच्छेद - 5

तृतीय देश के सह-निर्माण

1. जहां या तो भारत गणराज्य या ब्राजील संघ गणराज्य एक तीसरे देश के साथ श्रव्य-दृश्य सह-निर्माण करार को सम्पोषित करते हैं तो सक्षम प्राधिकरण इस करार के तहत एक श्रव्य-दृश्य सह-निर्माण हेतु किसी परियोजना, जिसे उस तीसरे देश के सह-निर्माता के सहयोजन से तैयार किया जाना है, को अनुमोदित कर सकते हैं ।

2. इस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुमोदन उन प्रस्तावों तक सीमित रहेंगे जिनमें तीसरे देश के सह-निर्माता का अंशदान ब्राजील के और भारतीय सह-निर्माताओं के वैयक्तिक अंशदान के कमतर से अधिक नहीं होता है।

अनुच्छेद - 6

सहभागी

1. एक श्रव्य-दृश्य सह-निर्माण में भाग लेने वाले पटकथा लेखक, निर्देशक, कलाकार और अन्य कलात्मक एवं तकनीकी कार्मिक निम्नलिखित होंगे :-

(क) जहां तक भारत गणराज्य का संबंध है,

(i) भारत गणराज्य के राष्ट्रिक/नागरिक ;
(ii) भारत के स्थायी निवासी ।

(ख) जहां तक ब्राजील संघ गणराज्य का संबंध है,

(i) ब्राजील संघ गणराज्य के राष्ट्रिक/नागरिक ;
(ii) ब्राजील के स्थायी निवासी ।

(ग) उन मामलों में जहां एक तीसरा सह-निर्माता है,

(i) तीसरे सह-निर्माता वाले देश के राष्ट्रिक/नागरिक ;
(ii) तीसरे सह-निर्माता वाले देश के स्थायी निवासी ।

2. इस अनुच्छेद में यथा एक श्रव्य-दृश्य सह-निर्माण के सहभागियों को निर्माण के दौरान हमेशा अपनी राष्ट्रीय नागरिकता धारित करनी होगी और निर्माण क्रियाकलाप की अवधि के दौरान किसी भी समय यह नागरिकता प्राप्त या छोड़ नहीं सकेंगे ।

3. आपवादिक मामलों में दोनों सक्षम प्राधिकरण ऐसे श्रव्य-दृश्य कार्य को अनुमोदित कर सकते हैं :

(क) जहां पटकथा या निधीयन अन्य देशों से कार्यपालकों की नियुक्ति को तय करते हों ;

(ख) जहां कलात्मक अथवा निधीयन कारक अन्य देशों से तकनीकी कार्मिकों की नियुक्ति को तय करते हों ।

अनुच्छेद - 7

निगेटिव, प्रथम रिलीज किया गया प्रिंट एवं भाषाएं

1. सभी श्रव्य-दृश्य सह-निर्माणों के लिए कम से कम एक निगेटिव और एक डुप्लीकेट निगेटिव तैयार किए जाएंगे । प्रत्येक सह-निर्माता उससे डुप्लीकेट या प्रिंट तैयार करने का हकदार होगा । प्रत्येक सह-निर्माता भी सह-निमाताओं के बीच सहमत शर्तों के अनुसार मूल निगेटिव का इस्तेमाल करने का हकदार होगा । मूल निगेटिव के भंडारण पर सह-निर्माताओं द्वारा पारस्परिक रूप से निर्णय लिया जाएगा।

2. श्रव्य-दृश्य सह-निर्माण भारत गणराज्य या ब्राजील संघ गणराज्य अथवा जब एक तीसरा सह-निर्माता हो तब उस तीसरे सह-निर्माता के देश में प्रथम रिलीज प्रिंट के विनिर्माण तक बनाए और संसाधित किए जाएंगे ।

3. प्रत्येक श्रव्य-दृश्य सह-निर्माण के मूल साउंड ट्रैक को हिन्दी या किसी अन्य भारतीय भाषा या बोली अथवा अंग्रेजी या पुर्तगाली में या उक्त अनुमति प्राप्त भाषाओं में संयुक्त रूप से तैयार करेगा । पटकथा की यथावश्यकतानुसार अन्य भाषाओं के संवाद श्रव्य-दृश्य सह-निर्माण में शामिल किए जा सकते हैं ।

4. भारत गणराज्य की अनुमत्य किसी भी भाषा में अथवा पुर्तगाली में रूपांतरण या उप-शीर्ष तैयार करने का कार्य भारत गणराज्य में अथवा ब्राजील संघ गणराज्य में तैयार किए जाएंगे । इस सिद्धांत से हटकर की जाने वाली किसी भी व्यवस्था को सक्षम प्राधिकरणों द्वारा अवश्य अनुमोदित किया जाना चाहिए ।

अनुच्छेद 8

अंतर्राष्ट्रीय समारोह

1. अधिकांश सह-निर्माता सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में श्रव्य-दृश्य सह-निर्माण करार पर हस्ताक्षर करेंगे ।

2. समान अंशदान के आधार पर निर्मित श्रव्य-दृश्य सामग्री को उस देश की श्रव्य-दृश्य सामग्री समझा जाएगा जहां के निर्देशक ने इसका निर्माण किया है ।-

अनुच्छेद 9

शूटिंग हेतु अवस्थिति

1. सक्षम प्राधिकरण किसी ऐसे देश में शूटिंग करने हेतु अवस्थिति को अनुमोदित कर सकते हैं जो कि भागीदार सह-निर्माताओं के देश से भिन्न हो ।

2. अनुच्छेद 6 के बावजूद जहां शूटिंग हेतु अवस्थिति मौजूदा अनुच्छेद के अनुसार अनुमोदित की जाती है, उस देश के नागरिकों को, जहां शूटिंग की जाती है , छोटे रोल में समूह कलाकारों या अतिरिक्त कर्मचारियों, जिनकी सेवाएं किए जाने वाले अवस्थिति कार्य हेतु आवश्यक हैं, के रूप में नियुक्त किया जा सकता है ।

अनुच्छेद - 10

प्रत्यय

प्रारंभिक प्रत्यय में एक श्रव्य-दृश्य सह-निर्माण एक शीर्ष शामिल करेगा जो यह दर्शाता होगा कि श्रव्य-दृश्य कार्य एक "सरकारी भारतीय ब्राजील सह - निर्माण" अथवा एक "सरकारी ब्राजील - भारतीय सह-निर्माण" है । इसी प्रकार श्रव्य-दृश्य कार्य से जुड़ी हुई संवर्धनात्मक सामग्री में भारत गणराज्य, ब्राजील संघ गणराज्य और जहां प्रासंगिक हो एक तीसरे सह-निर्माता वाले देश की सहभागिता को दर्शाता एक प्रत्यय शामिल होगा ।

अनुच्छेद - 11

देश में अस्थायी प्रवेश

1. अनुमोदित श्रव्य-दृश्य सह-निर्माणों के लिए प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार अपने देश में प्रवृत्त घरेलू कानून के अनुसार निम्नलिखित सुविधाएं मुहैय्या कराएगा :-

(क) दूसरे संविदाकारी पक्षकार के तकनीकी एवं कलात्मक कार्मिकों के लिए अपने सीमा क्षेत्र में प्रवेश और अस्थायी निवास ;

(ख) दूसरे संविदाकारी पक्षकार के निर्माताओं द्वारा अपने सीमा क्षेत्र में तकनीकी एवं अन्य फिल्म निर्माण संबंधी उपस्कर एवं सामग्री का आयात-निर्यात ।

(ग) श्रव्य-दृश्य सह-निर्माणों से संबंधित भुगतान हेतु नियत निधियों का अंतरण ।

2. यह व्यवस्थाएं मौजूदा करार के अनुच्छेद 5 के तहत अनुमोदित तीसरे पक्षकारों पर भी लागू होती हैं ।

अनुच्छेद - 12

संयुक्त आयोग

1. एक संयुक्त आयोग की स्थापना की जाएगी जिसमें दोनों संविदाकारी पक्षकारों से सक्षम प्राधिकरणों से प्रतिनिधि शामिल होंगे ।

2. संयुक्त आयोग की भूमिका इस करार के कार्यान्वयन एवं संचालन का मूल्यांकन करने तथा इस करार के अर्थ में सुधार लाने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की होगी ।

3. संयुक्त आयोग किसी भी संविदाकारी पक्षकार के अनुरोध पर ऐसा अनुरोध करने के छह माह के भीतर बैठक या अन्यथा आयोजित करेगा ।

अनुच्छेद - 13

प्रवर्तन

1. यह करार कूटनीतिक माध्यमों से संविदाकारी पक्षकारों के बीच दूसरी अधिसूचना की तारीख से प्रवर्तित होगा, यह सूचित करते हुए कि इस करार के प्रवर्तन हेतु अपेक्षाएं पूरी कर दी गई हैं ।

2. अनुलग्नक, जो कि इस करार का अभिन्न अंग है, सहित यह करार इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 की शर्तों के तहत समाप्त न होने तक असीमित समयावधि तक लागू रहेगा ।

3 दोनों में से कोई भी पक्षकार राजनयिक माध्यम से दूसरे पक्षकार को अग्रिम रूप से छह माह की लिखित सूचना देकर इस करार को समाप्त कर सकता है ।

इस करार के समाप्त होने का इसके समाप्त होने से पूर्व अनुमोदित श्रव्य-दृश्य सह-निर्माणों के समापन पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा ।

अनुच्छेद - 14

सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु अनुमति

1. सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु अनुमति भारत और ब्राजील दोनों में स्थानीय कानूनों के अनुसरण में होगी ।

2. इस करार के अंतर्गत सह-निर्माण स्थिति के अनुमोदन का अभिप्राय श्रव्य-दृश्य सह-निर्माण के सार्वजनिक प्रदर्शन की अनुमति देने की प्रतिबद्धता नहीं होगा ।

अनुच्छेद - 15

संशोधन

1. इस करार में राजनयिक माध्यम से संविदाकारी पक्षकारों के बीच टिप्पणियों का आदान-प्रदान करके संविदाकारी पक्षकारों की पारस्परिक सहमति से संशोधन किया जा सकता है ।

अनुच्छेद - 16

विवाद - निपटान

इस करार के निर्वचन या कार्यान्वयन को लेकर संविदाकारी पक्षकारों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को केवल परामर्श एवं वार्ता के जरिए ही पारस्परिक सहमति से निपटाया जाएगा ।

इस करार को....जून....2007 के .....4.....दिन हिन्दी, पुर्तगाली और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में निष्पादित किया गया, प्रत्येक पाठ समान रूप से प्रामाणिक है । निर्वचन में किसी भी प्रकार के मतभेद होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ अविभावी होगा ।

भारत गणराज्य सरकार की ओर से

ब्राजील संघ गणराज्य सरकार की ओर से

अनुलग्नक

1. इस करार के अंतर्गत सह-निर्माण के लाभों के लिए किसी भी श्रव्य-दृश्य कार्य की अर्हता हेतु आवेदन शूटिंग शुरू होने से कम से कम 60 (साठ) दिन पूर्व प्राधिकरणों के साथ-साथ किए जाने चाहिए ।

2. दोनों संविदाकारी पक्षकारों के सक्षम प्राधिकरण पूर्ण प्रलेखन के प्रस्तुतिकरण से तीस (30) दिन के भीतर दूसरे सक्षम प्रधिकरण को अपने-अपने प्रस्ताव से अवगत कराएंगे ।

3. इस करार के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत अनुमोदन प्रक्रिया में श्रव्य-दृश्य कार्य की शूटिंग शुरू होने से पहले अनुमति शामिल होगी ।

4. किसी आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत प्रलेखन में भारत के मामले में अंग्रेजी और ब्राजील के मामले में पुर्तगाली में तैयार की गई निम्नलिखित मदें शामिल होंगी :-

4.1 अंतिम पटकथा और संक्षेपण ।

4.2 इस बात के लिए प्रलेखीय प्रमाण कि श्रव्य-दृश्य कार्य को तैयार करने और लागू करने के वैधानिक प्रतिलिप्याधिकार प्राप्त कर लिए गए हैं ।

4.3 दोनों सह-निर्माताओं द्वारा हस्ताक्षरित सह-निर्माण संविदा की एक प्रति । संविदा में निम्नलिखित बातें शामिल होंगी :

(क) सह-निर्माण का शीर्षक ;

(ख) मूल पटकथा लेखक का नाम अथवा उद्धृतकर्ता का नाम यदि इसे किसी साहित्यिक स्रोत से लिया गया है ; लेखक/वैधानिक उत्तराधिकारियों से साहित्यिक कार्य को फिल्म में रूपांतरित करने के बारे में अनुमति - पत्र संलग्न किया जाए ;

(ग) निर्देशक का नाम (यदि आवश्यक हो तो उसके प्रतिस्थापन हेतु एक प्रतिस्थापन खंड की अनुमति है) ;

(घ) प्रत्येक सह-निर्माता द्वारा किए जाने वाले व्यय को अभिज्ञात करते हुए बजट;

(ड.) वित्त पोषण योजना ;

(च) राजस्व, बाजार मीडिया अथवा इनकी संयुक्त हिस्सेदारी स्थापित करने के लिए खंड ;

(छ) किसी भी अति व्यय में सह-निर्माताओं के संबंधित अंशों का ब्यौरा देने वाला एक खंड ; अल्पसंख्यक सह-निर्माता के अंश को इस व्यवस्था के साथ निम्न प्रतिशत तक या निर्धारित राशि तक सीमित किया जाए बशर्ते इस करार के अनुच्छेद 4 के तहत अनुमति प्राप्त न्यूनतम समानुपात का सम्मान किया जाए;

(ज) इस बात को मान्यता प्रदान करने के लिए ऐसे खंड की व्यवस्था करना जिसमें इस करार के अंतर्गत अनुमत्य लाभ इस प्रतिबद्धता का भाग न हो कि भारत में सरकारी प्राधिकरण श्रव्य-दृश्य कार्य के सार्वजनिक प्रदर्शन की अनुमति देने के लिए लाइसेंस प्रदान करेंगे ;

(झ) एक ऐसे खंड की व्यवस्था करना जिसमें निम्नलिखित बातों के लिए उपाय का निर्धारण किया जाएगा :-

(i) मामले पर पूरी तरह से विचार करने के पश्चात दूसरे देश के प्राधिकरण आवेदित लाभों को मंजूरी देने से इंकार करते हैं;

(ii) दोनों में से कोई भी पक्षकार अपने वादे को पूरा करने में असफल रहता है ।

(अ) शूटिंग शुरू की जाने वाली अवधि;

(ट) एक ऐसा खंड जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि बहुसंख्यक सह-निर्माता कम से कम "सभी निर्माण - जोखिमों" और "सभी मूल सामग्री निर्माण-जोखिमों " को शामिल करते हुए बीमा नीति कराएंगे; और

(ठ) एक ऐसा खंड जिसमें इस आधार पर प्रतिलिप्याधिकार के स्वामित्व की हिस्सेदारी का प्रावधान हो कि यह सह-निर्माताओं के संबंधित अंशदानों के समानुपातिक है ।

4.4 वितरण संविदा, यदि इस पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिए गए हैं अथवा एक मसौदा यदि इसे अभी भी संपन्न किया जाना है ;

4.5 सृजनात्मक एवं तकनीकी कार्मिकों की उनकी राष्ट्रीयता के साथ सूची ।

4.6 निर्माण कार्यक्रम ।

4.7 अंतिम शूटिंग की पटकथा ।

5. सक्षम प्राधिकरण यथावश्यक समझे जाने वाले कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज और अन्य सभी अतिरिक्त सूचना की मांग रख सकता है ।

6. किसी सह-निर्माता के प्रतिस्थापन सहित संशोधनों को मूल संविदा में किया जाए लेकिन उनको श्रव्य-दृश्य सह-निर्माण समाप्त होने से पूर्व सक्षम प्राधिकरणों के अनुमोदनार्थ अवश्य प्रस्तुत किया

जाए। सह-निर्माता के प्रतिस्थापन की अनुमति केवल आपवादिक मामलों में और दोनों प्राधिकरणों के लिए संतोषजनक कारणों से दी जाए ।

xxx